

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी-
पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.-192/2011

1. रामेश्वर पुत्र चन्द्राराम
2. भोजाराम उर्फ भोलाराम पुत्र बलबीर,
3. जगदीश पुत्र बलबीर
4. विजय सिंह पुत्र बलबीर

समस्त जाति अहीर निवासीगण सुलताना अहीरान
तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज.

.....वादीगण

बनाम

1. रिछपाल पुत्र चन्द्रा
2. धर्मपाल पुत्र चन्द्रा
3. जगमाल पुत्र गुगन
4. श्रीमती सरबती पत्नी स्व. विश्वामित्र
5. जयपाल
6. धर्मपाल
7. अशोक
8. बलवान
9. सुरजभान पुत्रान विश्वामित्र
10. छाजुराम
11. उमराव
12. रामनिवास
13. रोताश पुत्रान मातुराम
14. राज. सरकार जरिये भू-स्वामी तहसीलदार बुहाना, झुंझुनूं राज.

जाति अहीर निवासी सुलताना अहीरान, झुंझुनूं राज

.....प्रतिवादीगण

दावा- खाता विभाजन, घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती

दिनांक :- 10.12.2025

--: निर्णय :-

(1). वादीगण का वाद पत्र रहा कि-


1. वाके ग्राम सुलताना अहीरान पटवार हल्का बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज. के हाल जमाबंदी सम्वत् 2065 से 2068 के अनुसार भूमि हाल खाता सं. 161 के ख. नं. 2 रकबा 1.42 है., ख. नं. 5 रकबा 0.46 है., ख. नं. 8 रकबा 2.00 है., ख. नं. 118 रकबा 1.07 है., ख. नं. 257 रकबा 3.23 है., ख. नं. 334 रकबा 0.27 है., ख. नं. 342/7 रकबा 0.08 है., ख. नं. 351 रकबा 1.09 है., ख. नं. 549 रकबा 0.24 है., ख. नं. 647/6 रकबा 1.11 है. कुल किता 10 कुल रकबा 10.78 है. के खातेदार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। तथा खाता सं. 195 के ख. नं. 717 रकबा 0.09 है, ख. नं. 718 रकबा 1.81 है, कुल किता 2 कुल रकबा 1.90 है. के वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 व 2 दर्ज

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है। उसी अनुसार खाता सं. 223 के ख. नं. 36 रकबा 1.57 है, ख. नं. 37 रकबा 0.71 है, ख. नं. 270/16 रकबा 0.22 है, ख. नं. 271 रकबा 0.15 है, ख. नं. 272 रकबा 1.22 है, कुल किता 5 कुल रकबा 3.87 है। के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 9 दर्ज है। उसी अनुसार खाता सं. 224 के ख. नं. 645 रकबा 0.06 है, ख. नं. 679 रकबा 0.47 है, कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 है। के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 13 है।

2. वाके ग्राम बुहाना पटवार हल्का बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. स्थित हाल जमाबंदी सम्वत् 2066 से 69 के अनुसार खाता सं. 219 के ख. नं. 1874 रकबा 2.03 है। के खातेदार काश्तकार चन्द्राराम पुत्र डेडाराम कौम अहीर निवासी सुलताना अहीरान जो वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता है। तथा वादी सं. 2 से 4 के दादा है। जिनका नामान्तरकरण विरास्तन दर्ज नहीं हुआ है। कब्जे काश्त पिता से पुत्र को आया है। रिकॉर्ड दुरुस्त कर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 खातेदार घोषित कर हिस्से अनुसार विभाजित कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।
3. वाके ग्राम सुलताना अहीरान स्थित भूमि गत जमाबंदी सम्वत् 2019 अनुसार खाता सं. 120 के ख. नं. 421/1 रकबा साढे चौदह बिस्वा ख. नं. 336/1 रकबा साढे ग्यारह बिस्वा, ख. नं. 339 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा के खातेदार काश्तकार रामसहाय, परमा, देवा पिता नौन्दा कौम अहीर सा. देह बहिस्सा बराबर है। जिसमें हाल खसरा नम्बर 679 रकबा 0.47 है, ख. नं. 647/6 रकबा 0.11 है, तथा ख. नं. 645 रकबा 0.06 है, ख. नं. 647/2 रकबा 0.14 है, जो अलग-अलग खातों में दर्ज हो गया जबकि वाद पत्र के खण्ड में दर्ज वंशावली के ही खातेदार है। और इनका खाता विभाजन सैटलमेंट से पूर्व ही हो चुका था। इस कारण खाता सं. 224 में विश्वामित्र, जगमाल पिता गुगन 1/3, मातु पुत्र परमा 1/3 दर्ज हो गया। जबकि उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 ही कब्जे काश्त है। और पूर्व में हुआ विभाजन अनुसार सभी रिकॉर्ड बन गया परन्तु यह खाता संयुक्त में गलत दर्ज हो गया जिसे दुरुस्त कर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का ही हिस्सा दर्ज कर खाता विभाजन किया जावे।
4. यह कि खाता सं. 223 कुल किता 5 कुल रकबा 3.87 है। जिसका वार्षिक लगान 23.56 रूपयें का खाता विभाजन कर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का हिस्सा 1/2 अनुसार एव कब्जा अनुसार अलग से खाता विभाजन कर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड बनाया जावे। जिसमें हिस्सा वादीगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी सं. 3 से 9 का हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है उसी अनुसार खाता विभाजन किया जावे।
5. खाता सं. 161 के कुल किता 10 कुल रकबा 10.78 है। जिसके खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का हिस्सा अनुसार व कब्जा अनुसार खाता विभाजन कर तदानुसार अलग से राजस्व रिकॉर्ड बनाया जावे।
6. वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि ख. नं. 1874 रकबा 2.03 है। वादी एव प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खातेदार घोषित कर हिस्सा व कब्जा अनुसार खाता विभाजन तदानुसार अलग से कायम कर अमल दरामद किया जावे।




 उपखण्ड अधिकारी बुहाना
 जिला झुन्झुनू (राज.)

7. खाता सं. 185 कुल किता 2 कुल रकबा 1.90 है। भूमि का खातेदार वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 व 2 खातेदार काश्तकार है। जिनका अलग से खाता विभाजन कर अलग से राजस्व रिकॉर्ड कायम कर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड बनाया जावे।

वादी ने वाद-पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि-

(क). वाके ग्राम सुलताना अहीरान पटवार हल्का बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. के हाल जमाबंदी सम्वत् 2065 से 2068 के अनुसार भूमि हाल खाता सं. 161 के ख. नं. 2 रकबा 1.42 है., ख. नं. 5 रकबा 0.46 है., ख. नं. 8 रकबा 2.00 है., ख. नं. 118 रकबा 1.07 है., ख. नं. 257 रकबा 3.23 है., ख. नं. 334 रकबा 0.27 है., ख. नं. 342/7 रकबा 0.08 है., ख. नं. 351 रकबा 1.09 है., ख. नं. 549 रकबा 0.24 है., ख. नं. 647/6 रकबा 0.11 है. कुल किता 10 कुल रकबा 10.78 है. के खातेदार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का हिस्सा एवं कब्जा अनुसार खाता विभाजन कर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड अलग कायम किए जाने के आदेश देने की कृपा करे।

(ख). वाके ग्राम सुलताना अहीरान पटवार हल्का बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. के हाल जमाबंदी सम्वत् 2065 से 2068 के अनुसार भूमि हाल खाता सं. 195 के ख. नं. 717 रकबा 0.09 है., ख. नं. 718 रकबा 1.81 है., कुल किता 2 कुल रकबा 1.90 है. के वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का खाता विभाजन कर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड बनाया जाने का आदेश देने की कृपा करे।

(ग). वाके ग्राम सुलताना अहीरान पटवार हल्का बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. के हाल जमाबंदी सम्वत् 2065 से 2068 के अनुसार भूमि हाल खाता सं. 223 के ख. नं. 36 रकबा 1.57 है., ख. नं. 37 रकबा 0.71 है., ख. नं. 270/16 रकबा 0.22 है., ख. नं. 271 रकबा 0.15 है., ख. नं. 272 रकबा 1.22 है., कुल किता 5 कुल रकबा 3.87 है. भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी सं. 3 से 9 का हिस्सा 1/2 का खाता विभाजन कब्जे काश्त अनुसार अलग से कायम कर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड बनाया जावे। खाता सं. 224 के ख. नं. 645 रकबा 0.06 है., ख. नं. 679 रकबा 0.47 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 है. भूमि में प्रतिवादी सं. 3 से 13 का नाम हजफ कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खातेदार घोषित कर अलग से खाता कायम कर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड बनाया जाने का आदेश देने की कृपा करे।

(घ). वाके ग्राम बुहाना पटवार हल्का बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. स्थित हाल जमाबंदी सम्वत् 2066 से 69 के अनुसार खाता सं. 219 के ख. नं. 1874 रकबा 2.03 है. भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खातेदार घोषित कर हिस्सा व रिकॉर्ड दुरुस्त कर तदानुसार खाता विभाजन कर खाता अलग से कायम किए जाने का आदेश दिए जाने की कृपा करे।

(2) दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से राजीनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजुद सम्यक् तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

(3). वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2031 प्रदर्श-6, नकल जमाबंदी सम्वत् 2018 प्रदर्श-5, नकल जमाबंदी सम्वत् 2066-69 प्रदर्श-4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2065-68 प्रदर्श-1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2065-68 प्रदर्श-2, 3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-7, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श-8, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श-9 नकल नक्शा किरस्तवार प्रदर्श-10, नकल जमाबंदी सम्वत् 2031-34 प्रदर्श-, पेश किया गया। मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र पी.डब्लू-1 रामेश्वर पुत्र चन्द्राराम, पी.डब्लू-2 लक्ष्मीनारायण पुत्र नाथाराम, पी.डब्लू-3 हीरालाल पुत्र गुरुमुख, का पेश किया।


(4). दावा खाता व लगान विभाजन बाबत दिनांक 31.12.2012 को प्राथमिक डिक्री किया गया। कुरेजात प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 पेश किया गया कि वाद वर्णित भूमि ख. नं. 717 रकबा 0.09 है. ओर खसरा नम्बर 718 रकबा 1.81 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.90 है. के खातेदार काश्तकार वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 व 2 दर्ज रिकॉर्ड है। जो प्राथमिक डिक्री में वादी एवं प्रतिवादीगण दर्ज हो गया जो संशोधित किया जावे तथा अन्य खसरा नम्बर 645 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 679 रकबा 0.47 है., कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 है. में प्रतिवादी सं. 3 से 13 का नाम हजफ किया जाना न्यायासंगत है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

(5). बहस सुनी गई।

(6). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वादी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने योग्य है। खसरा नम्बर 1874 रकबा 2.03 है. वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता चन्द्राराम पुत्र डेडाराम के नाम दर्ज रिकॉर्ड है (प्रदर्श-4)। चन्द्राराम फौत हो चुके हैं। तथा इसके वारीस वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 हैं। जिनके नाम विरासती नामान्तरकरण न होने के कारण दर्ज नहीं हुए है। जो दर्ज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है। अतः न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.02.2016 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 188 दिनांक 22.03.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2493 दिनांक 16.07.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया।

बहस के अनुसार, शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुरे पर कोई ऐतराज नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075-2078 वाके ग्राम सुलताना अहीरान स्थित भूमि हाल खाता संख्या 206, 180, 287, 65 व वाके ग्राम बुहाना के खाता संख्या 292, में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दर्ज हिस्से व


उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुझनू (राज.)



मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

— आदेश —

“ न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सुलताना अहीरान पटवार हल्का सुलताना अहीरान तहसील बुहाना जिला झुन्डुनू राज. स्थित भूमि (1). खाता सं. 224 के ख. नं. 645 रकबा 0.06 है, ख. नं. 679 रकबा 0.47 है, कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.53 है, में प्रतिवादी सं. 3 लगायत 13 का नाम हजफ कर उनके स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (2). वाके ग्राम बुहाना पटवार हल्का बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्डुनू राज. स्थित भूमि खाता सं. 219 के ख. नं. 1874 रकबा 2.03 है, भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (3). खाता सं. 161 के ख. नं. 2 रकबा 1.42 है, ख. नं. 5 रकबा 0.46 है, ख. नं. 8 रकबा 2.00 है, ख. नं. 118 रकबा 1.07 है, ख. नं. 257 रकबा 3.23 है, ख. नं. 334 रकबा 0.27 है, ख. नं. 342/7 रकबा 0.08 है, ख. नं. 351 रकबा 1.09 है, ख. नं. 549 रकबा 0.24 है, ख. नं. 647/6 रकबा 0.11 है, कुल कित्ता 10 कुल रकबा 10.78 है, एवं खाता सं. 195 के ख. नं. 717 रकबा 0.09 है, ख. नं. 718 रकबा 1.81 है, कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.90 है, एवं खाता सं. 223 के ख. नं. 36 रकबा 1.57 है, ख. नं. 37 रकबा 0.71 है, ख. नं. 270/16 रकबा 0.22 है, ख. नं. 271 रकबा 0.15 है, ख. नं. 272 रकबा 1.22 है, कुल कित्ता 5 कुल रकबा 3.87 है, एवं खाता सं. 224 के ख. नं. 645 रकबा 0.06 है, ख. नं. 679 रकबा 0.47 है, कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.53 है, एवं खाता सं. 219 के ख. नं. 1874 रकबा 2.03 है, में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-15” व नक्शा प्रदर्श “ब-1 लगायत ब-2” के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-15” व नक्शा प्रदर्श “ब-1 लगायत ब-2” के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव “अ-1 लगायत अ-15” व नक्शा प्रदर्श “ब-1 लगायत ब-2” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जाये। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जाये। पर्चा डिक्री जारी हो। ”

(पुनर्भाषा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्डुनू (राज.)

पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 10-12-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

(पुनर्भाषा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्डुनू (राज.)

पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना



मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारी:-

पूनाम भीणा, आर ए एस

राजस्व वाद सं.- 192/2011

रामेश्वर आदि बनाम रिफ़पाल आदि
दावा- खाता विभाजन, धोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती

वादीगण की ओर से श्री रामस्वरूप यादव एडवोकेट की व प्रतिवादी सं. 1 व 2 की व्यक्तिगत उपस्थिति में इस वाद को श्री पूनाम भीणा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सुलताना अहीरान पटवार हल्का सुलताना अहीरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. स्थित भूमि (1) खाता सं. 224 के ख. नं. 645 रकबा 0.06 है, ख. नं. 679 रकबा 0.47 है, कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 है, में प्रतिवादी सं. 3 लगायत 13 का नाम हज़फ कर उनके स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (2) वाके ग्राम बुहाना पटवार हल्का बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. स्थित भूमि खाता सं. 219 के ख. नं. 1874 रकबा 2.03 है, भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (3) खाता सं. 161 के ख. नं. 2 रकबा 1.42 है, ख. नं. 5 रकबा 0.46 है, ख. नं. 8 रकबा 2.00 है, ख. नं. 118 रकबा 1.07 है, ख. नं. 257 रकबा 3.23 है, ख. नं. 334 रकबा 0.27 है, ख. नं. 342/7 रकबा 0.08 है, ख. नं. 351 रकबा 1.09 है, ख. नं. 549 रकबा 0.24 है, ख. नं. 647/6 रकबा 0.11 है, कुल किता 10 कुल रकबा 10.78 है, एवं खाता सं. 195 के ख. नं. 717 रकबा 0.09 है, ख. नं. 718 रकबा 1.81 है, कुल किता 2 कुल रकबा 1.90 है, एवं खाता सं. 223 के ख. नं. 36 रकबा 1.57 है, ख. नं. 37 रकबा 0.71 है, ख. नं. 270/16 रकबा 0.22 है, ख. नं. 271 रकबा 0.15 है, ख. नं. 272 रकबा 1.22 है, कुल किता 5 कुल रकबा 3.87 है, एवं खाता सं. 224 के ख. नं. 645 रकबा 0.06 है, ख. नं. 679 रकबा 0.47 है, कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 है, एवं खाता सं. 219 के ख. नं. 1874 रकबा 2.03 है, में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-15" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-2" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-15" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-2" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-15" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-2" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू राज. एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना